

क्रमांक:-सहायता/2022/ 2608

दिनांक- 17/6/22

स्वीकृति-आदेश

प्राकृतिक आपदा (अग्निकाण्ड/आकाशीय बिजली) से हुये नुकसान से पीडित परिवार को सहायता दिलाने हेतु तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर एसडीआरएफ/सीआरएफ नोर्मस के अनुसार पीडित परिवार को निम्नानुसार आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की जाती है:-

स्वीकृत राशि रुपये									
क्र.सं.	आवेदक का नाम पता	अग्निकाण्ड/ आ0बिजली दिनांक	प्राप्त आवेदन दिनांक	कपडा	बर्तन	मकान	पशु आदि	खडी फसल	स्वीकृत राशि
तहसील-सीकर									
1	त्रिपता पत्नी नेमीचंद खाती नि0 तारपुरा	25.3.22	2.5.22	0	0	3200	30000	0	33200
2	गोविन्दप्रसाद/ओमप्रकाश भंडारी नि0 शेखपुरा मोहल्ला,सीकर	19.2.22	19.2.22	1800	2000	50000	0	0	53800
	योग-								87000

(राशि रू0 सत्यासी हजार मात्र)

यह राशि लेखा मद 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 01-सूखा, 800-अन्य व्यय, 03-राहत कार्यों पर व्यय(02)-अग्नि सहायता-12-सहायतार्थ अनुदान से आहरित की जायेगी।

(अविचल चतुर्वेदी)
जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक/सहायता/2022/

दिनांक:-

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1.शासन सचिव,आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर
- 2.कोषाधिकारी,सीकर
- 3.आहरण एवं वितरण अधिकारी कलेक्ट्रेट,सीकर
- 4.उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार सीकर
- 5.जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,सीकर
- 6.रक्षित पत्रावली

(धारा सिंह मीना)
अति0जिला कलक्टर, सीकर



राजस्थान-सरकार
कार्यालय जिला कलक्टर (सहायता) सीकर



क्रमांक:-सहायता / 2022 / 2443

दिनांक- 6/5/22
17.6.22

स्वीकृति-आदेश

प्राकृतिक आपदा (अग्निकाण्ड/आकाशीय बिजली) से हुये नुकसान से पीडित परिवार को सहायता दिलाने हेतु तहसीलदार व उपखण्ड अधिकारी द्वारा की गई अभिशंषा के आधार पर एसडीआरएफ/सीआरएफ नोर्मस के अनुसार पीडित परिवार को निम्नानुसार आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की जाती है:-

		स्वीकृत राशि रुपये						
क्र.सं.	आवेदक का नाम पता	अग्निकाण्ड दिनांक	प्राप्त आवेदन दिनांक	कपडा	बर्तन	मकान	पशु आदि	खडी फसल
स्वीकृत राशि								
तहसील-सीकर								
1	केशाराम/गणेशाराम बलाई नि0 तारपुरा	5.6.21	29.12.21	0	0	3200	30000	0
	योग-							33200

(राशि रू0 तेतीस हजार दो सौ मात्र)

यह राशि लेखा मद 2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत, 01-सूखा, 800-अन्य व्यय, 03-राहत कार्यों पर व्यय(02)-अग्नि सहायता-12-सहायतार्थ अनुदान से आहरित की जायेगी।

(अविधल वतुर्वेदी)
जिला कलक्टर, सीकर

क्रमांक / सहायता / 2022 / 2443

दिनांक:- 6/5/22
17.6.22

प्रतिलिपि:-निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:-

- 1.शासन सचिव,आपदा प्रबन्धन एवं सहायता विभाग राजस्थान जयपुर
- 2.कोषाधिकारी,सीकर
- 3.आहरण एवं वितरण अधिकारी कलेक्ट्रेट,सीकर
- 4.उपखण्ड अधिकारी/तहसीलदार सीकर
- 5.जिला सूचना एवं जनसम्पर्क अधिकारी,सीकर
- 6.रक्षित पत्रावली

(धारा सिंह मीना)
अति0जिला कलक्टर, सीकर